संख्या:67/2015/964/छप्पन-2015-12/1998 टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 12 अगस्त, 2015**

विषय : श्री नुजहत अली, उप निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0, द्वारा की गयी हवाई यात्रा की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 108/ना0उ0वि0/2015, दिनांक 29-4-2015, पत्र संख्या- 203/ना0उ0नि0/लेखा/2015, दिनांक 22-5-2015 एवं पत्र संख्या- 287/ना0उ0नि0/लेखा/2015, दिनांक 11-6-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री नुजहत अली द्वारा दिनांक 22-04-2015 को नई दिल्ली जाने, दिनांक 23-4-2015 को लखनऊ वापस आने , दिनांक 14-05-2015 को नई दिल्ली जाने, दिनांक 15-05-2015 को लखनऊ वापस आने, एवं दिनांक 07-06-2015 को नई दिल्ली जाने, दिनांक 08-06-2015 को लखनऊ वापस आने हेतु की गयी हवाई यात्राओं को कार्यहित में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23 वी.वी.(2) के परन्तुक के अन्तर्गत नागरिक उड्डयन निदेशालय के उप निदेशक श्री नुजहत अली द्वारा उक्त इंगित तिथियों में लखनऊ से नई दिल्ली जाने एवं नई दिल्ली से लखनऊ वापस आने हेतु कार्यहित में वायुयान द्वारा की गई यात्राओं की कार्योत्तर स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि इसके पूर्व उक्त देयक का भुगतान न किया गया हो।

3- प्रश्नगत वायुयान यात्रा हेतु मील भत्ता उपर्युक्त नियम के उपनियम (3) के अन्तर्गत ग्राह्य होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- जी-(2)-685/दस-2015, दिनांक 4 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 67/2015/964(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) , प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
6- सम्बन्धित अधिकारी को (नागरिक उड्डयन निदेशालय के माध्यम से)
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in